# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

## आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर ने अपने पत्रांक 1319 दिनांक 22.11.2018 द्वारा श्री दिलीप कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बंधौली बनौरा, प्रखण्ड–बैकुण्ठपुर का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत कुल 57 लाभुकों में से मात्र 06 लाभुकों का गृह निर्माण कराया गया है, जो संतोषप्रद नहीं है।
2. दिनांक 19.10.2018, 06.11.2018, 15.11.2018 एवं दिनांक 16.11.2018 की समीक्षात्मक बैठक में आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन इनका प्रगति संतोषप्रद नहीं पाया गया।
3. जिला स्तर पर दिनांक 15.11.2018 को वीडियों कॉन्फेसिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी आवास सहायकों को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था। निदेश के बावजूद ये अनुपस्थित पाये गये।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण विशेष बैठक का आयोजन दिनांक 16.11.2018 एवं 17.11.2018 को किया गया, जिसमें बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 908 दिनांक 28.07.2018, ज्ञापांक 1091 दिनांक 25.08.2018, ज्ञापांक 1244 दिनांक 18.09.2018 एवं ज्ञापांक 1650 दिनांक 12.11.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु उनसे स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिला स्तर पर दिनांक 06.07.2018 (ज्ञापांक 820 दिनांक 11.07.2018), दिनांक 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 दिनांक 03.10.2018), दिनांक 05.10.2018 (ज्ञापांक 1470 दिनांक 10.10.2018), दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) एवं दिनांक 30.10.2018 (ज्ञापांक 1599 दिनांक 05.11.2018) को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससें यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्री कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों का निरंतर अवहेलना की गई है, जो उनके कर्तब्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के निदेश का अवहेलना करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने तथा लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति असंतोषजनक रहने के कारण श्री दिलीप कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बंधौली बनौरा, प्रखण्ड–बैकुण्ठपुर का अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से रद्द करते

हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

ह0 -

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 1999 /अभि0 दिनांक 15-12-18 /

प्रतिलिपि :— श्री दिलीप कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज—बंधौली बनौरा, प्रखण्ड—बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला—गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा—मोबाईल, अभिलेख, संचिका पंजी आदि का प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।